राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ ( )छात्रवृत्ति/निकाशि/2011/छात्रवृत्ति/1367 दिनांक 15.12.11

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/
राजकीय महिला महाविद्यालय,
राजस्थान।

आज दिनांक 15 दिसम्बर 2011 को उच्च स्तर पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभिन्न महाविद्यालयों में लम्बित विधान सभा प्रश्नों की समीक्षा की गई। बैठक में यह तथ्य उभर कर आये कि महाविद्यालय के प्राचार्यों के द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का केवल 10 प्रतिशत राशि का ही भुगतान किया गया है। इस सम्बन्ध में आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप एक विशेष कार्य योजना बना कर इन लम्बित छात्रवृत्तियों का भुगतान 15 जनवरी 2012 तक करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक छात्रवृत्ति वितरण नहीं करने वाले प्राचार्यों के खिलाफ तुरन्त ही अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

विधान सभा के लम्बित प्रश्नों के सम्बन्ध में यह तथ्य प्रकाश में आया कि लगभग समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य के स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कई प्रश्न लम्बित है, जैसा कि आपको विदित है कि विधान सभा का सत्र अविलम्ब प्रारम्भ होने जा रहा है। अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आगामी 15 दिवस में आप समस्त विधान सभा प्रश्नों का निस्तारण कर देगे। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ होगें तो आपके खिलाफ 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही करते हुए सीधे विधान सभा को आपके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु लिख दिया जावेगा। विधान सभा प्रश्न का उत्तर देते समय उसकी एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांकः एफ ( )छात्रवृत्ति/निकाशि/2011/ 1368-69 दिनांक 15.12.11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त–निदेशक (पी एण्ड सी) कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त–निदेशक (छात्रवृत्ति) कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

निदेशक